




फर्द अहकाम
(नियम 26)
आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर
बोदू बनाम हनुमान

किसरा गुकतगा-53, 188 रा0का0अधि0

नम्बर-80वर्ष:-2022

तारीख हुताग	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.10.2022	<p>राह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अरविन्द कुमार दाधीच ने अर्नागत धारा 53, 188 के तहत पेश किया गया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अध्ययन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक- 20-01-2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	
15-12-22	<p>वकील वादी द्वारा राजस्व वाद एवं राजस्व अधिना-पत्र को Not Press करने बाबत 30 पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। वादी एवं वकील वादी उपस्थित। वादी ने स्व दस्तावेजित आधार कार्ड नं. 970449566834 की प्रति पेश की। वकील वादी एवं वादी स्वयं उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में Not Press जाहीर किया। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फेंसल सुमान होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	<p>Not Press बोदू</p> <div style="text-align: right;"></div>